25/11/2022 पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थीगण श्री बाबुलाल पुत्र श्री नाथुराम धोसल्या(विक्रेता) व श्री प्रेमप्रकाश पुत्र श्री गोदाराम यादव(मालिक), निवासीगण– गांव– नागल बरड़ा वाया उदयपुरा तह. चोमु जिला– जयपुर, मैसर्स–पप्पु मावा पनीर भण्डार, होटल कन्हैया पैलेस के पास एन.एच. 52 रारगोठ तह. श्रीमाधोपुर, सीकर उपस्थित हुये। अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 13.02.2019 को समय 12:10 पी.एम. पर श्रीमाधोपुर सीकर में निरक्षण के लिए पंहुचे। निरक्षण के दौरान विक्रय किये जा रहे फर्म मैसर्स पप्पु मावा पनीर भण्डार, में अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय कर रहे थे। विक्रेता को मैनें अपना परिचय दिया व उनके नाम व पता पूछा, तो विक्रेता अपना परिचय बताया।

फर्म पर श्री बाबुलाल द्वारा पनीर का विक्रय किया जा रहा था। फर्म पर उपलब्ध 20 पनीर के स्टोक में से वास्ते नमूना जांच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। नमूना जांच 1–किलो खाद्य पदार्थ पनीर खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 220रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **अमानक** पाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया एवं प्रकरण में अप्रार्थी के कारोबार को देखते हुये कम से कम जूर्माना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म लिखित में कबूल किया एवं कम से कम जूर्माना लगाने का अनुरोध किया।

प्रार्थी व अप्रार्थीगण को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी नम्बर एफ–1368 खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण **अमानक** पाया गया। अमानक खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) का उल्लंघन पाया गया। अप्रार्थी द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने से भी जुर्म कि गम्भीरता कम नहीं हो जाती है। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थीगण को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये।

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगण को 41,000 रू के जूर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 25.11.2022 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:01:14 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अति. जिला ...
नीमकाथाना

अतिरिक्त ...
एवं ...
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner